न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 41./2019/अपील/एजआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.5.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
2. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
3. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
4. हेमकंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
5. श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी स्व0 भवानी सिंह

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. श्याम मनोहर पुत्र स्व0 मांगीलाल
2. दिनेश पुत्र स्व0 मांगीलाल
3. मोहन बाई पुत्री स्व0 मांगीलाल
4. श्रीमती कंचनबाई पुत्री स्व0 मांगीलाल
   जाति कलाल निवासीगण ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित– श्री बी0 सी0 मालवीय अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री सत्यनारायण गौतम अभिभाषक–रेस्पो0 1 ता 4

::निर्णय::

दिनांक 3.3.2022

अपीलार्थी ने न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण 136/2015 दावा 183 आरटीए व 136 एलआरएक्ट बउनवान जसवंत सिंह बनाम श्याम मनोहर मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आरटीए की धारा 183 एंव एलआरएक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी एंव स्वामित्व की आराजी ग्राम खेराबाद मे 3.3 है0 स्थित है उक्त आराजीयात मे से ख0 नं0 2824 रकबा 0.90 है0 भूमि प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 के खाते व कब्जे काश्त की भूमि ख0 नं0 2827 रकबा 04 बीघा से लगी हुई है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की

भूमि ख0 नं0 2824 के करीब डेढ बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जो बेदखली का पात्र हैं। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नक्शा तरमीम को ध्यान मे न रखते हुये मौके की स्थिति से भिन्न जाकर वादीगण को नुकसान पहुचाने की उद्धेश्य से गलत नक्शा ट्रेस का अंकन कर दिया। जबकि सेटलमेट विभाग को नक्शा ट्रेस मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः वाद स्वीकार कर प्रति0 1 ता 4 को वादी के स्वामित्व की आराजी ख0 नं0 2824 से बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे आराजीयात के रकबे अनुसार परिवर्तन किया जावे।

2 अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद लोक अदालत रखते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2017 के द्वारा वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये डिक्री कर दिया।

3 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एंव डिक्री 27.6.2017 मे धारा 136 एलआरएक्ट की प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नही कर रेस्पो0 को अतिचारी मानते हुये भूमि की पैमाईश कर बेदखल के आदेश पारित किया जबकि नक्शा ट्रेस मे खातेदारी की भूमि के रकबा अनुसार परिवर्तन नही किया जावेगा तब तक प्रतिवादी को उसके द्वारा अतिक्रमण की गई आराजी से कैसे बेदखल किया जावेगा वर्णित कर पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 27.6.2017 से व्यथित होकर अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे पेश की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने से अपील मेन्टेनेबल नही होने से दिनांक 27.6.2017 को खारिज कर अपील सक्षम न्यायालय मे पेश करने के लिये अपीलांट स्वतंत्र होना वर्णित किये जाने पर अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद के अधि0 के साथ इस आशय की न्यायालय हाजा मे पेश की गई कि अपीलांट के खाते की आराजी ख0 नं0 2824 रकबा 0.90 है0 है जो 5 बीघा 11 बिस्वा होती है जिसे नक्शा ट्रेस 0.71 है0 दर्शित किया है जो मौके पर 0.19 है0 कम है। इसी प्रकार रेस्पो0 के खाते की भूमि खसरा सं0 2827 का रकबा 0.56 है0 है लेकिन नक्शा ट्रेस के मुताबिक 0.75 है0 बैठता है जो 0.19 है0 ज्यादा है अतः ख0 नं0 2824 की पश्चिमी मेड के सहारे पट्टी मौजूदा नक्शा ट्रेस से तरमीम कर हटा दी जाती है एंव खसरा सं0 2824 के उत्तरी पश्चिमी की तरफ तरमीम कर 2837 की पूर्वी मेड तक तरमीम कर बना दी जाती है तो ख0 सं0 2824 का रकबा नक्शें मे 0.90 है0 एंव खसरा सं0 2827 का रकबा नक्शें मे 0.56 है0 बैठ जाता है जो खातेदारो के खाते मे दर्ज भूमि मुताबिक सही हो जाता है लेकिन इन तथ्यों पर गोर न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा ट्रेस मे कोई आदेश पारित नही कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.6.2017 निरस्त कर धारा 136 एलआरएक्ट पर विचार कर उचित निर्णय पारित करने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के खाते की आराजी ख0 नं0 2824 रकबा 0.90 है0 है जो 5 बीघा 11 बिस्वा होती है जिसे नक्शा ट्रेस 0.71 है0 दर्शित किया है जो मौके पर 0.19 है0 कम है। इसी प्रकार रेस्पो0 के खाते की भूमि खसरा सं0 2827 का रकबा 0.56 है0 है लेकिन नक्शा ट्रेस के मुताबिक 0.75 है0 बैठता है जो 0.19 है0 ज्यादा है अतः ख0 नं0 2824 की पश्चिमी मेड के सहारे पट्टी मौजूदा नक्शा ट्रेस से तरमीम कर हटा दी जाती है एंव खसरा सं0 2824 के उत्तरी पश्चिमी की तरफ तरमीम कर 2837 की पूर्वी मेड तक तरमीम कर बना दी जाती है तो ख0 सं0 2824 का रकबा नक्शें मे 0.90 है0 एंव खसरा सं0 2827 का रकबा नक्शें मे 0.56 है0 बैठ जाता है जो खातेदारो के खाते मे दर्ज भूमि मुताबिक सही हो जाता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया तथा धारा 136 एलआरएक्ट के संबध मे कोई अनुतोष प्रदान नही किया। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार कर निर्णय/डिक्री 27.6.2017 निरस्त कर प्रा0 पत्र धारा 136 के संबध मे उचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

6 रेस्पो0 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि रेस्पो0 अपने खाते की आराजी पर काबिज है अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है।

7 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण बहस पर मनन किया। हमने सर्वप्रथम प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये है वे उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

8 अधीनस्थ नयायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 27.6.2017 का अवलोकन किया गया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एंव धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था जिसमे वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाने एंव मूल नक्शे मे संशोधन की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर बेदखली की डिक्री पारित की है। अपीलांट ने अपील मे मुख्य रूप से यह कथन किया है किया है कि नक्शाा ट्रेस मे संशोंधन के बावत धारा 136 एलआरएक्ट मे कोई सहायता अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान नही की है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण को अतिचारी मानते हुये बेदखल किये जाने संबधी आदेश की पालना नही हो सकती। इस क्रम मे हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे वर्णित तथ्यों के संबध मे कोई उचित अनुतोष प्रदान नही किया है ऐसी स्थिति मे वाद प्रकरण मे अन्तर्गत धारा 183 आरटीए के तहत पारित अनुतोष प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाने संबधी तथ्य की पालना रिकार्ड मे समुचित संशोंधन के अभाव मे अधूरा है। अधीनस्थ न्यायलय ने इस तथ्य पर गौर नही किया। प्रकरण मे हमारा यह भी विन्रम मत है कि राज0 काश्तकारी अधिनयम की धारा 183 के तहत पारित अनुतोष के संबध मे श्रृवणाधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त नही होने से इस संबध मे किसी प्रकार के अभिमत की आवश्यकता प्रकरण मे नही है किन्तु धारा 136 एलआरएक्ट मे चाहे गये अनुतोष के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अनुतोष अपीलार्थी को प्रदान नही किया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय 27.6.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिजा कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे सेटलमेंट से पूर्व एंव बाद के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, खसरा गिर0, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा लठ्ठा/ट्रेस आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पक्षकारान को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।

9 निर्णय आज दिनांक 3.3.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा